12

लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएँ

सन् 1950 के बाद कई देशों में लोकतंत्र की शुरूआत औपनिवेशिक शासन से मुक्ति के रूप में हुई। सन् 1990 के दशक में लोकतांत्रिक शासन का विस्तार साम्यवादी देशों के पतन से प्रारंभ हुआ। सन् 2010 के बाद से लीबिया और म्यांमार जैसे देशों में अधिनायकतंत्र (तानाशाही) के खिलाफ आवाज़ें उठती रही हैं और लोकतांत्रिक शासन अपनाया जा रहा है।

अधिनायकतंत्र शब्द का प्रयोग आमतौर पर ऐसे व्यक्ति के शासन के लिए किया जाता है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्ति किसी देश की सत्ता पर पूर्ण अधिकार स्थापित कर लेता है। वह शासन के सभी ढाँचों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। कर्नल गद्दाफी तथा नेबिन अधिनायकवादी शासन के प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसा व्यक्ति सेना का समर्थन प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति में सभी विरोधी राजनैतिक दलों को समाप्त कर दिया जाता है और मात्र एक दल होता है।

अधिनायकतंत्र में शासक सारी शक्तियों को अपने हाथों में केन्द्रित कर लेते हैं। अधिनायकतंत्र में कानून का आधार शासक की इच्छा होती है। शासक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कोई भी कानून बना लेता है। शासक द्वारा दिया गया निर्णय ही अधिनायकतंत्र का न्याय होता है। लोकतंत्र अधिनायकतंत्र से बिल्कुल विपरीत शासन प्रणाली है। यहाँ हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा करेंगे।

अधिनायक तंत्र क्या है?

अलोकतंत्र की पहचान किए बिना लोकतंत्र का मूल स्वरूप, विशेषताएँ या पहचान के लक्षण एवं अवधारणा को समझना या अंतर करना कठिन है। कर्नल गद्दाफी व थेन–सेन अपने शासन को गणतंत्र कहते थे, जनता को निःशुल्क उच्चस्तरीय जीवन की सुविधाएँ प्रदान करने का प्रयास किया, परन्तु जनता को चुनाव और प्रतिनिधित्व अधिकारों के बाद भी शासन अलोकतांत्रिक लगता था। इसके पहचान के लक्षण अग्रांकित हैं जिसे निरंकुश शासन कहते हैं। लोकतंत्र जनता के अंकुश में ही होती है!

* एक व्यक्ति की मनमानी का शासन
* एक दल की सरकार और विपक्षी दलों पर प्रतिबंध
* चुनाव व प्रतिनिधित्व का विधि निर्माण में भागीदारी नहीं
* संगठन निर्माण, सत्याग्रह व विचार–अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध
* व्यक्तिगत स्वतंत्रता नियंत्रित या प्रतिबंधित
* निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था नहीं
* स्वतंत्र–निष्पक्ष न्यायपालिका, जनसंचार व चुनाव आयोग नहीं

कौन–कौन से देश में उपर्युक्त लक्षण कब–कब थे?

कौन–कौन से देश में निरंकुश तंत्र के लक्षण कब–कब अंत हो गए?

उक्त दोनों प्रश्नों के उत्तर विश्व के मानचित्र 12.1, 12.2 और 12.3 का अध्ययन कर विश्लेषण कीजिए।

लोकतंत्र का विश्व विस्तार

हमने इतिहास के खण्ड में यूरोप में लोकतंत्र के विकास और विश्व में लोकतंत्र के प्रसार की घटनाओं को पढ़ा है।

शिक्षक की सहायता से विश्व के मानचित्र क्रमांक 12.1, 12.2 एवं 12.3 में लोकतांत्रिक देशों का अवलोकन करें।

सन् 1900 तक के लोकतांत्रिक सरकार वाले देश का नाम व संख्या पता करें।

सन् 1900 से 1950 के मध्य बने लोकतांत्रिक देशों की पहचान कीजिए?

ऐसे देशों की पहचान कीजिए जहाँ सन् 1950 से 1975 के बीच लोकतंत्र आया?

यूरोप के कुछ ऐसे देशों की पहचान कीजिए जो सन् 1975 से 2000 के बीच लोकतांत्रिक हैं?

सन् 2011 तक कुल लोकतांत्रिक देशों की संख्या ज्ञात कीजिए।

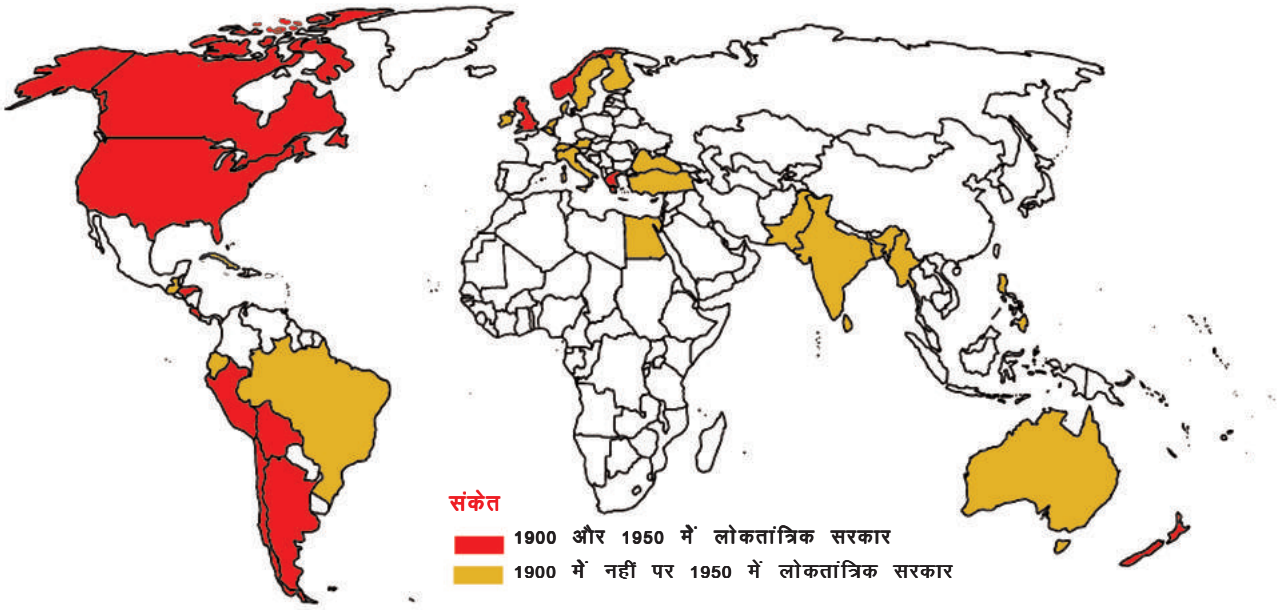

नक्शा 12.1 : लोकतांत्रिक देश सन् 1900 और 1950 के बीच

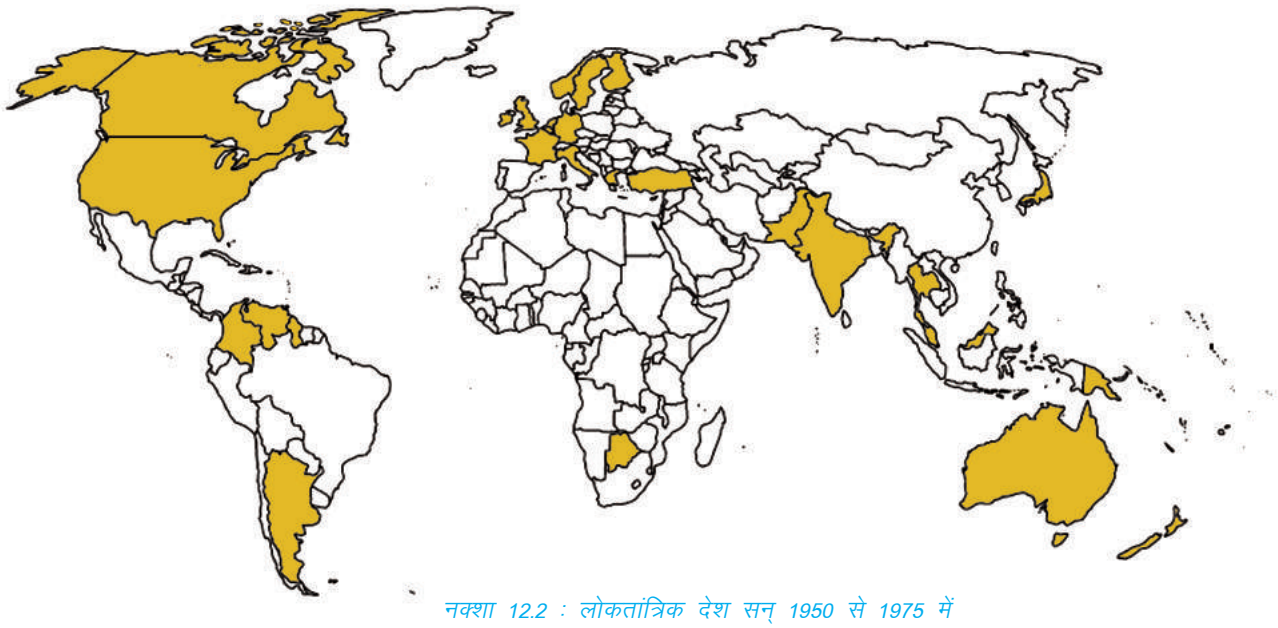

नक्शा 12.2 : लोकतांत्रिक देश सन् 1950 से 1975 में

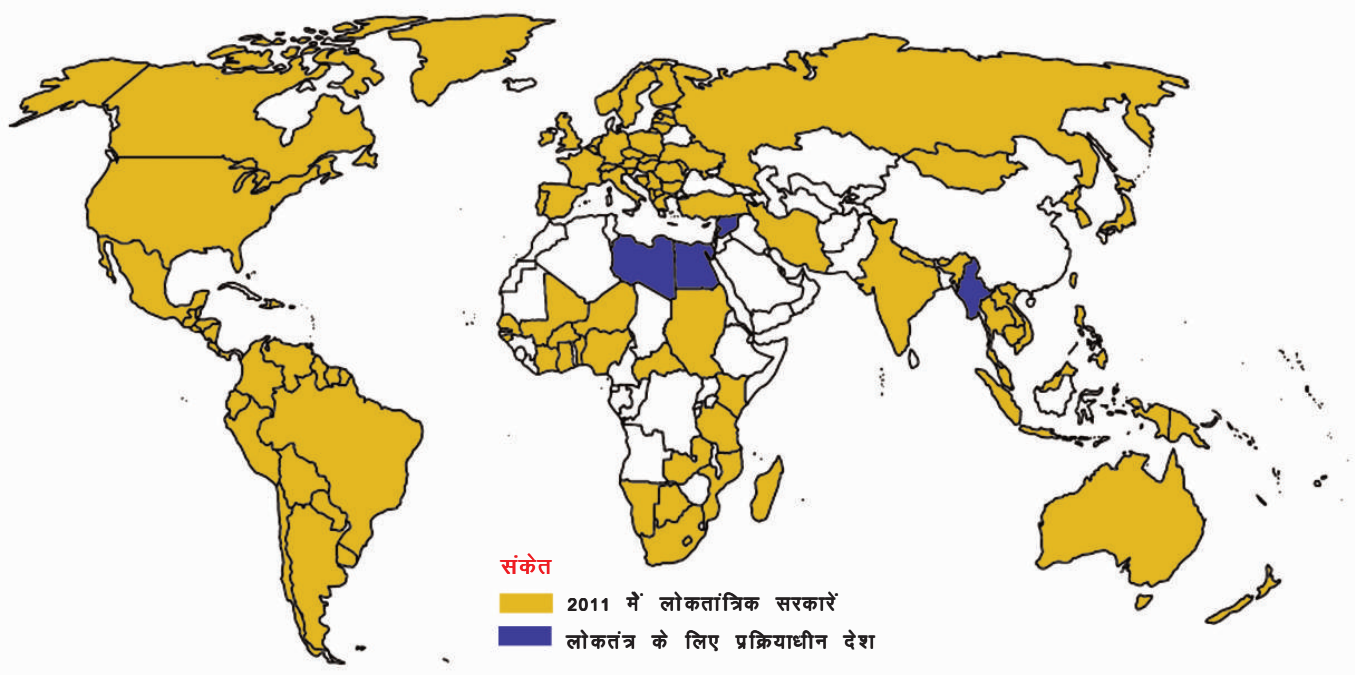

नक्शा 12.3 : लोकतांत्रिक देश सन् 1975 से 2000 में

ऐसे देशों की पहचान कीजिए जिन्होंने सन् 1975 के बाद लोकतंत्र अपनाया।

ऐसे देशों की सूची बनाएँ जिन्होंने सन् 2000 तक भी लोकतांत्रिक प्रणाली को नहीं अपनाया था? ऐसे देशों की संख्या कितनी है?

मानचित्रों को देखते हुए बताएँ कि कौन–सा दौर लोकतंत्र के विस्तार के लिए सबसे महत्वपूर्ण था और क्यों?

पिछले अध्याय में **दो देशों में लोकतंत्र के लिए हुए संघर्ष** को पढ़ने के बाद हम तीन बातें याद कर सकते हैं–

1 लीबिया में स्वतंत्रता के बाद राजतंत्र और कर्नल गद्दाफी का शासन।

2 आंग सान की हत्या के बाद म्यांमार में सैन्य शासन।

3 लीबिया और म्यांमार में लोकतांत्रिक शासन के लिए संघर्ष।

अपने शिक्षक की सहायता से चर्चा कीजिए।

इन दोनों देशों की सरकारों में कौन सी समानताएँ और असमानताएँ हैं? हम इन सरकारों को क्यों तानाशाही सरकार कहते हैं?

लोकतंत्र न होने से लीबिया व म्यांमार की जनता को किन–किन अधिकारों से वंचित किया गया?

यदि गद्दाफी ने लीबिया में लोकतांत्रिक संगठनों का सम्मान करते हुए संस्थाओं को मज़बूती दी होती, तो लीबिया के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता?

लीबिया और म्यांमार के सैनिक शासकों का चुनाव जनता ने नहीं किया जिन लोगों का सेना पर नियंत्रण था, वे स्वयं शासक बन गए। शासन के निर्णयों में जनता की कोई भागीदारी नहीं थी जिन देशों में चुनाव से सरकार बनती है उन्हें लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यही कारण है कि विश्व के अधिकांश देशों की सरकार स्वयं को लोकतांत्रिक सरकार मानती है। मात्र चुनाव लोकतंत्र की पहचान नहीं है। लोकतंत्र क्या है?

लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है और चयनित शासकों द्वारा शासन किया जाता है। लोकतंत्र में सरकार चुनने और बदलने में जनता की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

लोकतंत्र के विषय में ऊपर दिए गए कथनों से कुछ प्रश्न मन–मस्तिष्क में सहज ही उठते हैं जैसे–

1. **शासक कौन होगा?**
2. **किस तरह का चुनाव लोकतांत्रिक कहा जाएगा?**
3. **किनके द्वारा शासकों का चुनाव किया जाता है?**
4. **शासक चुने जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए?**

इन प्रश्नों को समझने के लिए हम लोकतंत्र की मुख्य बातों का विश्लेषण करेंगे।

उत्तरदायी सरकार

हमने लीबिया में देखा कि निर्णय की अन्तिम शक्ति सैनिक संगठन के पास थी। वह जनता द्वारा चुनी हुई नहीं थी। वहाँ की जनता सैनिक संगठन के आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य थी। जबकि सैनिक संगठन किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। इनका चुनाव प्रतिनिधिगण करते है।

एक लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और उनकी प्रतिनिधि–सभा सर्वोच्च होती है। जितनी भी चुनी हुई सरकारें कार्य कर रही होती हैं, वे विभिन्न तरीकों से जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं। भारत की शासन व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तो पता चलता है कि केन्द्र की सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें कई तरह से लोगों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती हैं।

भारत में कार्यपालिका के सभी लोग, जैसे– प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषदों के मंत्री व उच्च अधिकारी संसद और राज्य विधानमण्डलों (व्यवस्थापिका) के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनका चुनाव प्रतिनिधिगण करते हैं।

निश्चित अवधि के बाद चुनाव

सभी सरकारों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत में इसकी अवधि कितने वर्ष के लिए होती है? सरकार सत्ता में पुनः तभी आ सकती है जब जनता उसे पुनः चुने। चुनाव का समय लोगों के लिए वह समय होता है जब वे लोकतंत्र में अपनी शक्ति का अनुभव करते हैं। इस तरह निश्चित अवधि के बाद नियमित चुनाव होने पर जनता का सरकार पर नियंत्रण बना रहता है। यदि जनता जन–प्रतिनिधियों के कार्यों से सन्तुष्ट न हो तो चुनाव के द्वारा सरकार को बदल सकती है।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए यह आवश्यक है कि ये चुनाव किसी स्वतंत्र संस्था द्वारा करवाए जाएँ तथा विभिन्न राजनैतिक दलों को इनमें बिना किसी पूर्व शर्त के भाग लेने की अनुमति दी जाए। भारत में चुनाव करवाने के लिए **'चुनाव आयोग'** नाम की संस्था कार्य करती है। हमारे संविधान में चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए कई विशेष अधिकार दिए गए हैं। निष्पक्ष चुनाव के साथ–साथ लोकतंत्र के लिए बहुदलीय प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता है। इसी से लोगों को विकल्प मिलते हैं जिनमें से वे चुनाव कर सकते हैं।

किन परिस्थितियों में जनता सरकार को बदल सकती है? चर्चा करें।

चुनाव के लिए निश्चित समय अवधि क्यों होती है?

लोकतंत्र में एक से अधिक दलों का होना क्यों आवश्यक है?

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार (Universal Adult Franchise)

हम कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का शासन है अर्थात् हमारे देश में सभी वयस्क व्यक्ति – चाहे महिला हो या पुरुष, अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म के अनुयायी हों, चाहे वे कोई भी भाषा बोलते हों उन्हें चुनाव में मतदान का अधिकार है। यह राजनैतिक समानता है। प्रत्येक व्यक्ति के वोट का समान महत्व है। इसमें गरीब हो या अमीर, शिक्षित या अशिक्षित लोकतंत्र में प्रत्येक व्यक्ति के वोट की समान कीमत है।

प्रारम्भ में कुछ देशों में मतदान का अधिकार मात्र उन लोगों को ही प्राप्त था जिनके पास सम्पत्ति थी या कर (tax) देते थे। धीरे–धीरे संघर्ष के बाद कई देशों में मताधिकार सभी को दिया जाने लगा। भारत में संविधान लागू होने के समय से ही सभी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्राप्त है जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष या उससे ऊपर की आयु के सभी लोग मतदान कर सकते हैं।

क्या सार्वभौमिक मताधिकार देने के लिए कुछ शर्तें होनी चाहिए? चर्चा करें।

राजनैतिक समानता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए?

भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान किस वर्ष प्रारम्भ हुआ?

लोकतंत्र में जनभागीदारी

लोकतंत्र में शासन के संचालन में जनता की भागीदारी होती है। कानून बनाने और उनको लागू करने में भी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी होती है। सरकार को जनता से ही समस्याओं एवं आवश्यकताओं की जानकारी मिल सकती है। योजनाओं के क्रियान्वयन में निरीक्षण, परीक्षण, सुझाव, शिकायत करनी चाहिए।

लोकतंत्र की मजबूती के लिए नीति–निर्माण से पूर्व जनता में विभिन्न माध्यमों से व्यापक चर्चा होती है। लोग किसी भी कानून या नीति के विषय में अखबारों में लेख लिखकर, टेलीविज़न एवं इंटरनेट पर होने वाली बहस में भाग लेकर, ज्ञापन देकर, सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों व अन्य कई माध्यमों से अपने विचार रखते हैं। ऐसी चर्चाओं को संचालित करने के लिए समितियाँ और समूह बनाए जाते हैं। जनता की उदासीनता लोकतंत्र की सबसे बड़ी शत्रु है।

चित्र 12.1 : मतदान में जनभागीदारी

चित्र 12.2 : इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन

आप लोकतंत्र में अपनी भागीदारी किस–किस तरह से निभा सकते हैं? आपस में चर्चा कीजिए।

आपके विचार में जनभागीदारी के बिना लोकतंत्र सफल होगा या नहीं कारण दीजिए?

कानून का शासन

कानून का शासन लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विशेषता है। कानून के शासन से आशय है कि कोई भी सरकार सभी कार्य कानून के अनुसार करे तथा ऐसे कार्य नहीं किए जाएँ जो कानून के अनुसार न हो। कानून के शासन का यह भी अर्थ है कि देश के सभी नागरिकों पर सारे कानून समान रूप से लागू होंगे। किसी भी व्यक्ति को कानून से किसी भी तरह की छूट नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं जब देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं को सामान्य नागरिकों की तरह कानून का पालन करते हुए न्यायालय में जाना पड़ा। उन्हें आम नागरिकों की तरह ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा।

कानून का सम्मान

लोकतंत्र में हम ऐसी संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं जो संविधान या निर्धारित कानून के अनुसार कार्य करती हैं। किसी

को भी कोई गैर–कानूनी कार्य करने का अधिकार नहीं है। इस भावना का सम्मान ही कानून का सम्मान करना है। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है। उसे भी कुछ बुनियादी तौर–तरीकों व स्थापित कानूनों का पालन करना होता है। न्यायालय की स्वतंत्रता का सम्मान करना और उसके आदेशों का पालन करना, शासन और नागरिकों का दायित्व होता है।

आपके आसपास की उन घटनाओं की सूची बनाएँ जिनमें कानून का सम्मान नहीं किया गया। शिक्षक की सहायता से इस सूची पर चर्चा कीजिए।

मानव अधिकार एवं लोकतंत्र

मानव अधिकार वे आवश्यकताएँ हैं जो किसी व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने तथा जीवन में विकास के लिए ज़रूरी हैं। इन अधिकारों के बिना लोगों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो सकता। ऐसे अधिकार लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को प्राप्त होते हैं। दूसरे अर्थों में यदि लोगों के अपने विचारों को व्यक्त करने, विभिन्न विषयों पर बहस करने, बातचीत करने, संगठन बनाने और अन्य मानव अधिकारों द्वारा ही लोकतंत्र को अधिक–से–अधिक मजबूत बनाया जा सकता है।

मानव अधिकारों के न होने पर लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी कैसे प्रभावित होगी ?

अल्पसंख्यकों के अधिकार

अधिकांश देशों में जाति, धर्म–सम्प्रदाय, भाषा, रंग, क्षेत्र, लिंग या राजनैतिक विचार के आधार पर कुछ लोगों की जनसंख्या कम होती है, इन्हें अल्पसंख्यक कहा जाता है। अधिकतर देशों में बहुसंख्यकों का शासन होता है। परन्तु लोकतंत्र के अर्थ में एकरूपता नहीं है। लोकतंत्र समाज में तरह–तरह की विविधताओं को स्वीकार करता है। इसलिए अल्पसंख्यकों के मत या राय का सम्मान करना लोकतांत्रिक मूल्यों का हिस्सा है। अतः अल्पसंख्यकों को संविधान द्वारा कई अधिकार दिए जाते हैं।

किसी भी क्षेत्र में अल्पसंख्यक किन्हें कहा जाता है? एक उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए।

यदि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के बराबर अधिकार न दिए जाएँ तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

लोकतंत्र में विविधता को स्वीकार करना क्यों ज़रुरी है?

लोकतंत्र और समावेशीकरण

लोकतंत्र में बहुमत के अनुसार तय किया जाता है कि सरकार कैसे बनेगी। अलग–अलग विचार होने पर भी हम बहुमत से लिए गए निर्णय मान लेते हैं। कई मायनों में यह उपयोगी और सरल तरीका है, परन्तु कुछ मुद्दों में यह समावेशी सिद्ध नहीं होता है। अल्पसंख्यक लोग एक अलगाव महसूस करते हैं। लोकतंत्र को समाज में समावेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देना चाहिए जिससे अल्पसंख्यकों की भागीदारी सुनिश्चित हो पाए। वे अपने–आप को बेगाना न समझें। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा देश है। यहाँ समाज की जातीय और भाषाई विभाजन कुछ इस तरह से है – 59 प्रतिशत लोग डच बोलते हैं, 40 प्रतिशत लोग फ्रेंच और थोड़े से लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। वे प्रमुख रूप से अलग–अलग क्षेत्र में निवास करते हैं। परन्तु राजधानी ब्रुसेल्स के 80 प्रतिशत लोग फ्रेंच और 20 प्रतिशत लोग डच बोलते हैं। तीनों समुदायों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती थी, खासकर राजधानी ब्रुसेल्स में जहाँ डच बोलने वाले कम हैं। ऐसी स्थिति में बेल्जियम में समाजों का समावेशीकरण करने के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए–

संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान है कि केन्द्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी। कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एकतरफा फैसला नहीं कर सकते।

– **संविधान ने शासन की अनेक शक्तियाँ क्षेत्रीय सरकारों के सुपुर्द कर दी है। यानी राज्य सरकारें इन मामलों में केन्द्रीय सरकार के अधीन नहीं हैं।**

– **ब्रुसेल्स में अलग सरकार है और इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोगों ने ब्रुसेल्स में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोगों ने केन्द्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था।**

इस तरह हम देखते हैं कि बेल्जियम के लोगों ने किस समझदारी के साथ अलग–अलग भाषाएँ बोलने वाले लोगों को शासन की प्रक्रिया में शामिल किया।

समावेशीकरण का क्या आशय है? एक उदाहरण देकर समझाइए।

विभिन्न समाजों के बीच समावेशीकरण क्यों ज़रूरी है?

लोकतंत्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या–क्या किया जाना चाहिए? आपस में चर्चा कीजिए।

यदि आपको सरपंच या महापौर बना दिया जाए तो लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर ऐसे कुछ कार्यों की सूची बनाएँ जो आप करना चाहेंगे।

लोकतंत्र के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क

लोकतंत्र के पक्ष में तर्क	लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क
लोकतंत्र जनता का शासन है इसलिए एक निश्चित समय सीमा के बाद चुनाव ज़रूरी है। लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण है कि सभी सरकारों को संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है।	लोकतंत्र में प्रतिनिधि बदलते रहते हैं। इससे अस्थिरता पैदा होती है।
लोगों की भागीदारी व्यापक होने पर ज़्यादा पारदर्शिता आती है और नैतिक मूल्यों के कई उदाहरण सामने आते हैं। अलग–अलग राय का समावेश किया जाता है।	लोकतंत्र का मतलब सिर्फ राजनैतिक लड़ाई और सत्ता का खेल है। यहाँ बहुमत की राय की प्रधानता होती है।
क्योंकि यह प्रणाली अधिक लोगों की भागीदारी पर निर्भर है, इसलिए समय लगता है, परन्तु इससे किसी भी विषय के कई गुण–दोष सामने आ जाते हैं और बेहतर निर्णय लेने की सम्भावना बनती है।	लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे लोगों से बहस और चर्चा करनी पड़ती है जिससे हर फैसले में देरी होती है।
चुनाव सुधार द्वारा यह खर्च कम किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया में नागरिकों के हितों की सुरक्षा सब से अधिक है। लोकतंत्र का निरन्तर विकास हो रहा है। जैसे–जैसे लोकतंत्र मजबूत होगा इसमें व्याप्त खामियाँ दूर होती जाएँगी।	लोकतंत्र में चुनावी लड़ाई महत्वपूर्ण और खर्चीली होती है, इसलिए इसमें भ्रष्टाचार होता है।

लोकतंत्र के और कौन–कौन से गुण एवं दोष हैं? इस सूची में जोड़ने हेतु चर्चा करें।

अधिनायकतंत्र और लोकतंत्र दोनों की आवधारणाओं को समझने का प्रयास किया है। हमने देखा है कि अधिनायकतंत्र के तहत लीबिया के कर्नल गद्दाफी तथा म्यांमार के नेबिन जैसे सैनिक नेता किस तरह एक दल व एक नेता का शासन स्थापित करने की कोशिश करते हैं तथा वे किन–किन तरीकों से शासन के सभी अंगों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लगातार उसे मजबूत करने की कोशिश करते हैं।

अधिनायकतंत्र के विपरीत लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों के शासन की कल्पना की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि शासन के सभी कार्यों में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी हो। अधिनायकतंत्र एक दल और एक नेता की क्षमता पर विश्वास करता है। एक व्यक्ति का शासन कालान्तर में निरंकुशता की ओर बढ़ता है और लोगों

की उपेक्षा करता है। कर्नल गद्दाफी इसके उदाहरण हैं। जबकि लोकतंत्र में जनता के निर्णय करने की सामूहिक क्षमताओं पर भरोसा किया जाता है और माना जाता है कि लोकतंत्र में लोग सामूहिक रूप से सही निर्णय ले सकते हैं।

अधिनायकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों व नागरिकों की गरिमा का कोई स्थान नहीं होता। जबकि लोकतंत्र नागरिक अधिकारों के बिना चल ही नहीं सकता।

अधिनायकतंत्र में मीडिया तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रताएँ शासन की इच्छा पर निर्भर होती हैं जबकि लोकतांत्रिक राजनीति में स्वतंत्र प्रचार माध्यम (मीडिया) की भूमिका अहम होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के बिना लोकतंत्र काम नहीं कर सकता।

अभ्यास

1. निम्नलिखित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए –

(लोकतांत्रिक, सम्मान, गलती, शासन व्यवस्था, जवाबदेही)

..... शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है, क्योंकि यह शासन का अधिक .....वाला स्वरूप है। लोकतंत्र नागरिकों का ..... बढ़ाता है। इसमें .....सुधारने की सम्भावना रहती है। इसी वजह से लोकंतत्र को सबसे अच्छी .....माना जाता है।

2. दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए –

अ लोकतंत्र किसका शासन है –

(1) राजा का (2) जनता का

(3) सैनिक का (4) सामंत का

ब लीबिया में निर्णय लेने की अन्तिम शक्ति किसके पास थी –

(1) जनता के पास (2) जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के पास

(3) सैनिक संगठन के पास (4) विधायकों के पास

स भारत में कौन–सी शासन प्रणाली है –

(1) अधिनायक तंत्र (2) राजतंत्र

(3) सैन्य तंत्र (4) लोकतंत्र

3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए–

(1) अधिनायक तंत्र किसे कहते हैं?

(2) लीबिया और म्यांमार में सैनिक संगठन किसके प्रति उत्तरदायी था?

(3) लोकतंत्र का प्रमुख शत्रु कौन है?

(4) लोकतंत्र में जनभागीदारी को समझाइए।

(5) लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार मनमानी क्यों नहीं कर सकती?

(6) लोकतंत्र की कौन–कौन सी विशेषताएँ हैं?

(7) लोकतंत्र में दोष अधिक है या गुण। चर्चा कर सूचीबद्ध कीजिए।

(8) स्वतंत्र–निष्पक्ष चुनाव के लिए कौन–कौन सी व्यवस्थाएँ होनी चाहिए? सुझावों की सूची बनाइए।

परियोजना–

लोकतंत्र की भावना प्रकट करने वाले समाचार या घटनाएँ, समाचार पत्र या पत्रिकाओं से एकत्र कीजिए।

**